

## कार्बन बॉर्डर टैक्स

### प्रलिस के लयः

कार्बन बॉर्डर टैक्स, यूरोपयन यूनयन, COP-27, बेसक, CBDR-RC, रयऱ डकलरेशन ।

### मेन्स के लयः

कार्बन बॉर्डर टैक्स और संबधतऱ मुददे ।

## चरुा में क्यऱँ?

हाल ही में भारत सहतऱ वभननऱ देशऱँ के संघ ने शरुम अल शेख, मसऱर में **पारुतऱयऱँ के समुमेलन (COP)** के 27वें संसुकरण में **यूरोपीय संघ (EU)** दवारा प्रसुतावतऱ कार्बन बॉर्डर टैक्स का संयुकुत रूड से वरऱरध कयऱ है ।

## कार्बन बॉर्डर टैक्स:

- कार्बन बॉर्डर टैक्स उतुपाद के उतुपादन से उतुपन्न कार्बन उतुसऱरुजन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुलक है । यह कार्बन को कीमती बनाकर उतुसऱरुजन को हतुतुसाहतऱ करता है । वुयापार से संबधतऱ उपाय के रूड में यह उतुपादन और नरऱयात को प्रभावतऱ करता है ।
- यह प्रसुताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय गऱन डील का हसऱसा है जो वरुष 2050 तक यूरोड को पहला जलवायु-तटसुथ महादुवीड बनाने का प्रयास करता है ।
- कार्बन बॉर्डर टैक्स यकीनन **राषुटऱरऱय कार्बन टैक्स में एक सुधार है** ।
  - राषुटऱरऱय कार्बन टैक्स एक ऐसा शुलक है जसऱ सरकार देश के भीतर कसऱी भी उस कंनुनी पर लगाती है जो जीवाशुम ईधन का उडडुड करती है ।

## कार्बन टैक्स लगाने का कारण:

- यूरोपीय संघ और जलवायु परवऱरुतन शमन:** यूरोपीय संघ ने वरुष 1990 के सुतर की तुलना में वरुष 2030 तक अपने कार्बन उतुसऱरुजन में कम से कम 55% की कटुती करने की घुषणा की है । अब तक इन सुतरऱँ में 24% की गरऱवट आई है ।
  - हालाँकऱ आयात से होने वाले उतुसऱरुजन का यूरोपीय संघ दवारा CO2 उतुसऱरुजन में 20% डुडदान है जसऱमे और भी वुदुध देखऱ जा रही है ।
  - इस प्रकार का कार्बन टैक्स अनड देशऱँ को GHG उतुसऱरुजन कम करने तथा यूरोपीय संघ के कार्बन डडकहऱन को और कम करने के लयऱ प्रुतुसाहतऱ करेगा ।
- कार्बन लीकेरु:** यूरोपीय संघ की **उतुसऱरुजन वुयापार प्रणाली** कुुछ वुवसायऱँ के लयऱ उस कुषुतर में संचालन को महुँगा बनाती है ।
  - यूरोपीय संघ के अधकऱरऱयऱँ को डर है कऱये वुवसाय उन देशऱँ में अपना वुवसाय सुथानांतरतऱ करना डसंड कर सकते हैं जहाँ उतुसऱरुजन सीमा को लेकर वऱशऱष सीमाएँ नही हैं ।
  - इसे 'कार्बन लीकेरु' के रूड में जाना जाता है और इससे दुनयऱ में कुल उतुसऱरुजन में वुदुध हऱती है ।

## मुददे:

- 'बेसकऱ' (BASIC) देशऱँ की प्रुतऱकऱरऱयऱः '**BASIC**' देशऱँ (बऱरऱडील, दकषणऱ अफऱरीका, भारत और चीन) के समूह ने एक संयुकुत डयान में यूरोपीय संघ के प्रसुताव का वरऱरध करते हुए कहा कऱ यह 'भेदभावडूरुण' एवं समानता तथा '**समान परंतु वभऱदतऱ उतुतरदायतऱवऱँ और संबधतऱ कुषमताऱँ**' (CBDR-RC) के सऱदऱधांत के वरुडुध है ।
  - ये सऱदऱधांत सऱवीकार करते हैं कऱ वऱकऱसतऱतऱ देश जलवायु परवऱरुतन का मुकाबला करने हेतु वकऱसशील और संवेदनशील देशऱँ को वतऱतऱय एवं तकनीकी सहायता प्रुदान करने हेतु उतुतरदायी हैं ।
- भारत पर प्रभाव:** यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बडुड वुयापारकऱ भऱगीदार है । यूरोपीय संघ, भारत नरऱमऱतऱ वसुतुऱँ की कीमतऱँ में वुदुध करऱ भारतीय वसुतुऱँ को खरीदारऱँ के लयऱ कम आकरुषक बना देगा जो मांग को कम कर सकता है ।

- यह कर बड़ी ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिये नकिट भवषिय में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा।
- **‘रियो घोषणा’ के साथ असंगत:** पर्यावरण के लिये दुनिया भर में एक समान मानक स्थापित करने की यूरोपीय संघ की धारणा ‘रियो घोषणा’ के अनुच्छेद-12 में नहिंति वैश्विक सहमति के वरिद्ध है, जिसके मुताबकि, वकिसति देशों के लिये लागू मानकों को वकिसशील देशों पर लागू नहिं कया जा सकता है।
- **जलवायु-परिवर्तन व्यवस्था में परिवर्तन:** इन आयातों की ग्रीनहाउस सामग्री को आयात करने वाले देशों की ग्रीनहाउस गैस सूची में भी समायोजित करना होगा, जिसका अनविरय रूप से तात्परय है कजिीएचजी सूची को उत्पादन के आधार पर नहिं बल्क खिपत के आधार पर गनिा जाना चाहिये।
  - यह पूरे जलवायु परिवर्तन व्यवस्था को उलट देगी।
- **संरक्षणवादी नीति:** नीतिको संरक्षणवाद का प्रचछन्न रूप भी माना जा सकता है।
  - संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदरभति करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतबिंधित करता है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लक्ष्य के साथ लागू कया जाता है।
  - इसमें जोखिम है कयिह एक संरक्षणवादी उपकरण बन जाता है, जो स्थानीय उद्योगों को तथाकथित ‘हरति संरक्षणवाद’ में वदिशी प्रतस्पर्धा से बचाता है।

## आगे की राह

- भारत यूरोपीय संघ की इस नीतिको लक्ष्य नहिं है, लक्ष्य रूस, चीन और तुर्की हैं जो कार्बन के बड़े उत्सर्जक हैं तथा यूरोपीय संघ को इस्पात एल्यूमीनियम के प्रमुख निर्यातक हैं।
- भारत के वपिकष में सबसे आगे होने का कोई कारण नहिं है। इसके बजाय उसे सीधे यूरोपीय संघ से बात करनी चाहिये और द्वपिकषीय रूप से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिये।
- सीमाओं पर आयातति सामानों पर शुल्क लगाने हेतु कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसा तंत्र स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रेरति कर सकता है।
  - लेकनि यदयिह नई तकनीकों और वतित की पर्याप्त सहायता के बिना होता है, तो यह वकिसशील देशों के लिये नुकसानदेह हो जाएगा।
- जहाँ तक भारत का संबंध है उसे इस कर के लागू होने से होने वाले फायदों और नुकसानों का आकलन करना चाहिये तथा द्वपिकषीय दृष्टिकोण के साथ यूरोपीय संघ से बात करनी चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से कसिने अप्रैल, 2016 में अपने नागरिकों के लिये डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर एक कानून को अपनाया, जसिे ‘सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन’ के रूप में जाना जाता है तथा 25 मई, 2018 से इसका कार्यान्वयन शुरू कया? (2019)

- ऑस्ट्रेलिया
- कनाडा
- यूरोपीय संघ
- संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (C)

प्रश्न. व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और निविश करार (Broad-based Trade and Investment Agreement- BTIA) कभी-कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से कसि एक के बीच बातचीत के संदरभ में दखिई पडता है? (2017)

- यूरोपीय संघ
- खाड़ी सहयोग परिषद
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- शंघाई सहयोग संगठन

उत्तर: (A)

## स्रोत: द हिंदू